आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
30-01-2024	**<u>वाद सं0–05 / 2024</u>** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री हरिदत्त तिवारी, MIG फ्लैट सं0–2 / 15, दिन्दली बस्ती, आदित्यपुर–01, थाना+पो0–आदित्यपुर, सरायकेला–खरसावाँ, ऑडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ अनुपस्थित। आज की सुनवाई में शिकायतकर्ता टेलिफोन के माध्यम से उपस्थित थे, जबकि जिला आपूर्ति पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि सुनवाई में अनुपस्थित रहे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कोई प्रतिवेदन भी आयोग के अभिलेख में मौजूद नहीं है। अगली सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने यदि विस्तृत प्रतिवेदन के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोपों पर अपना पक्ष नहीं रखा तो आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई करने को बाध्य होगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–28.02.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.02.2024 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	